HRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 67]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2012/पौष 27, 1933

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 67]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2012/PAUSA 27, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2012

का.आ. 76(अ).—यत:, मै. अरमीड डेवेलपर्स लिमिटेड ने हिरियाणा राज्य में सेक्टर-106, ग्राम पवाला, खुसरूपुर, जिला गुड़गाँव में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 16 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1495(अ) में 11.6627 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया;

और यत:, मै. अरमीड डेवेलपर्स लिमिटेड ने सम्पूर्ण 11.6627 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनिधसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 8 अगस्त, 2011 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमित से अवगत करा दिया है:

अत: अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 की धारा 1 के अनुसरण में केन्द्र सरकार उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त करती है। सिवाय उन चीजों के जो ऐसे निरसन के पूर्व कारित की गई हैं या कारित किए जाने से निवारित की गई है।

[फा. सं. एफ.1/261/2007-एसईजेड]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2012

S.O. 76(E).—Whereas, M/s. Airmid Developers Limited had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Sector-106, Village Pawala Khusrupur, District Gurgaon in the State of Haryana;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 11.6627 hectares at above location as Special Economic Zone *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1495(E), dated 16th June, 2009;

And, whereas, M/s. Airmid Developers Limited has proposed to denotify the entire area of 11.6627 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for denotification of above area on 8th August, 2011;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No.F. 1/261/2007-SEZ] SANUP WADHAWAN, Jt. Secy.

134 GI/2012